

信	317	保存年限
號	/ /	

經濟部國際貿易署 函 016 文 收

機關地址：臺北市湖口街1號
 承辦人：蔡濟鴻
 聯絡電話：(02)23510271分機250
 傳真：(02)23584339
 電子郵件：chris@trade.gov.tw

10405
 臺北市中山區松江路131號13樓

受文者：台灣製鞋工業同業公會

發文日期：中華民國113年2月7日
 發文字號：貿雙一字第1137003912號
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：如文(1137003912-1.pdf、1137003912-2.pdf、1137003912-3.pdf、1137003912-4.pdf)

主旨：有關印度對鞋類產品實施強制檢驗規定及措施事，請查照並轉知所屬會員廠商參考。

說明：

- 一、依據駐印度代表處經濟組113年2月2日竺經字第1130006015號函辦理；本署110年3月17日貿服字第1107007255號函諒達。
- 二、前函略以，印度商工部自110年7月1日起就27項鞋類產品，包含橡膠/聚合物、皮革及個人防護設備(PPE)等3種鞋類頒布「品質管制令」(QCOs)，並自111年1月1日起實施強制檢驗新規定。嗣印度政府延長部分產品實施日期並增加試用產品，現況如下：
 - (一)個人防護設備鞋類QCOs：涵蓋安全鞋、防護鞋及職業鞋等3項產品，須符合印度標準(IS 15298)並取得驗證。此管制令已於111年1月1日實施(如附件1)。
 - (二)橡膠/聚合物鞋類QCOs：涵蓋礦工用皮靴、重金屬行業用皮鞋、橡膠底帆布鞋等11項產品，各產品對應之印度標準請參考附件2。此管制令經延長6個月後，自113年1月1日正式實施(如附件3)。
 - (三)皮革及其他QCOs：涵蓋工業用橡膠靴、橡膠雨靴等13

經濟部
 貿易署

公會
 同業
 公會

秘書長
 賴奇見

項產品，各產品對應之印度標準請參考附件4。此管制令經延長6個月後，自113年1月1日正式實施。

正本：台灣製鞋工業同業公會

副本：中華民國全國工業總會（含附件）、駐印度代表處經濟組

署長 **江文若**

國際
特縫章



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222788
CG-DL-E-28102020-222788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3403]
No. 3403]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/कार्तिक 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
(प्रमदा और फुटबियर अनुभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3857(अ).—केंद्रीय सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि यह लोकहित या समीचीन में आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - फुटबियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तद्वन्तु रूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-1A की स्कीम-1 के अनुसार ब्यूरो के अनुमति के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

परंतु कि इस आदेश की बात निर्वात की वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

सारणी

वस्तु या सामान (1)	भारतीय मानक (2)	भारतीय मानक का शीर्षक (3)
वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - फुटवियर	आईएस: 15298 (भाग 2): 2016	वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - भाग 2 सुरक्षा फुटवियर
	आईएस: 15298 (भाग 3): 2019	वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - भाग 3 सुरक्षा फुटवियर
	आईएस: 15298 (भाग 4): 2017	वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - भाग 4 व्यवसाय फुटवियर

नोट : इस सारणी के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(LEATHER AND FOOTWEAR SECTION)

ORDER

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3857(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title, commencement — (1) This Order may be called the Personal Protective Equipment-Footwear (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force from the dated of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and Enforcement Authority.—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the said Table.

TABLE

Goods or articles (1)	Indian Standard (2)	Title of Indian Standard (3)
Personal Protective Equipment - Footwear	IS 15298 (Part 2): 2016	Personal protective equipment - Part 2 Safety Footwear
	IS 15298 (Part 3) : 2019	Personal protective equipment - Part 3 Protective Footwear
	IS 15298 (Part 4) : 2017	Personal protective equipment - Part 4 Occupational Footwear

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236272
CG-DL-E-03062022-236272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2472]
No. 2472]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्यैष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

बाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2599(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चमड़े और अन्य सामग्री से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न लगा होगा:

परंतु इस आदेश का कुछ भी निर्यात की माल या सामग्री पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

सारणी

क्र.सं.	माल या सामग्री	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज	आईएस 1989 (भाग 1): 1986	खनिकों के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज भाग 1 की विनिर्देश
		आईएस 1989 (भाग 2): 1986	भारी धातु उद्योग के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज भाग 2 की विनिर्देश
2.	कैनवास शूज रबड़ सोल	आईएस 3735: 1996	कैनवास शूज, रबड़ सोल- विनिर्देश
3.	कैनवास बूट्स रबड़ सोल	आईएस 3736: 1995	कैनवास बूट्स, रबड़ सोल- विनिर्देश
4.	खनिकों के लिए सेफ्टी रबड़ कैनवास बूट्स	आईएस 3976: 2018	खनिकों के लिए सेफ्टी रबड़ कैनवास बूट्स - विनिर्देश
5.	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर	आईएस 11226: 1993	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर- विनिर्देश
6.	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर	आईएस 14544: 1998	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर- विनिर्देश
7.	स्पोर्ट्स फुटवेयर	आईएस 15844: 2010	स्पोर्ट्स फुटवेयर - विनिर्देश
8.	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकरल टैक्स्टिल बूट्स	आईएस 17012: 2018	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकरल टैक्स्टिल बूट्स - विनिर्देश
9.	एंटीरॉयट शूज	आईएस 17037: 2018	एंटीरॉयट शूज- विनिर्देश
10.	डर्बी शूज	आईएस 17043: 2018	डर्बी शूज- विनिर्देश

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2599(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after

consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Footwear Made from Leather and Other Materials (Quality Control) Order, 2022.
(2) It shall come into force with effect from the 1st day of July, 2023.
- Compulsory use of Standard Mark.**— Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:
Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.
- Certification and enforcement authority.** – The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

TABLE

Sr. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Leather safety boots and shoes	IS 1989 (Part 1): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 1 for miners
		IS 1989 (Part 2): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 2 for heavy metal industries
2.	Canvas Shoes Rubber Sole	IS 3735: 1996	Canvas Shoes, Rubber Sole- Specification
3.	Canvas Boots Rubber Sole	IS 3736: 1995	Canvas Boots, Rubber Sole- Specification
4.	Safety Rubber Canvas Boots for Miners	IS 3976: 2018	Safety Rubber Canvas Boots for Miners- Specification
5.	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole	IS 11226: 1993	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole- Specification
6.	Leather safety footwear with direct moulded polyvinyl chloride (PVC) sole	IS 14544: 1998	Leather safety footwear with direct moulded polyvinyl chloride (PVC) sole – Specification
7.	Sports footwear	IS 15844: 2010	Sports Footwear- Specification
8.	High ankle tactical boots with PU - Rubber sole	IS 17012: 2018	High ankle tactical boots with PU - Rubber Sole – Specification
9.	Anti riot shoes	IS 17037: 2018	Anti riot shoes – Specification
10.	Derby shoes	IS 17043: 2018	Derby shoes – Specification

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards, as amended from time to time, as notified by the Bureau of Indian Standards, shall apply.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.



www.bis.gov.in

भारतीय मानक ब्यूरो

केन्द्रीय मुहर विभाग-2

फुटवियर उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का कार्यान्वयन

सभी रबर और सभी पॉलिमर सामग्री से बने जूते और उसके घटकों (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 और चमड़े और अन्य सामग्रियों से बने जूते (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के अंतर्गत आने वाले 24 फुटवियर उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश **1 जुलाई 2023** से लागू किए जाएंगे।

हालाँकि, निम्नलिखित उत्पादों के लिए जिनके मानकों को हाल ही में संशोधित किया गया है, इन संशोधित विशिष्टताओं के अनुसार उत्पाद बनाने वाले निर्माताओं को अनुपालन के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय यानी **31 दिसंबर 2023** तक दिया जाएगा।

वर्तमान भारतीय मानक संख्या (उत्पाद) Current IS No. (Product)	संशोधित आईएस नंबर (उत्पाद) Revised IS No. (Product)
IS 15844:2010 – Sports Footwear	IS 15844 (Part 1):2023 – Sports Footwear Part -1 General Purpose, and IS 15844 (Part 2):2023 – Sports Footwear Part 2 Performance Sports Footwear
IS 10702:1992 – Rubber Hawai Chappal	IS 10702:2023 - Hawai Chappal
IS 11544:1986 – Rubber Slipper	IS 6721:2023 – Sandal and Slipper
IS 6721:1972 – PVC Sandal	

अन्य पूछताछ के लिए, कृपया प्रमुख, केन्द्रीय मुहर विभाग-2, बीआईएस से cmd2@bis.gov.in पर संपर्क करें।

संदर्भ: सीएमडी-2/G-94

तारीख: 10.07.2023



www.bis.gov.in

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

IMPLEMENTATION OF QUALITY CONTROL ORDERS ON FOOTWEAR PRODUCTS

Quality Control Orders on 24 footwear products covered under the All-Rubber and all Polymeric material and its components (Quality Control) Order, 2022 and the Leather and other materials(Quality Control) Order, 2022 shall be implemented from **1st July 2023**.

However, for the following products for which standards have been revised recently, the manufacturers making the products as per these revised specifications will be given an additional time of 6 months to comply i.e. up to **31 December 2023**.

Current IS No. (Product)	Revised IS No. (Product)
IS 15844:2010 – Sports Footwear	IS 15844 (Part 1):2023 – Sports Footwear Part -1 General Purpose, and IS 15844 (Part 2):2023 – Sports Footwear Part 2 Performance Sports Footwear
IS 10702:1992 – Rubber Hawai Chappal	IS 10702:2023 - Hawai Chappal
IS 11544:1986 – Rubber Slipper	IS 6721:2023 – Sandal and Slipper
IS 6721:1972 – PVC Sandal	

For any queries, please contact Head, Central Marks Department-2, BIS at cmd2@bis.gov.in

Ref: CMD-2/G-94

Date: 10.07.2023



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236279
CG-DL-E-03062022-236279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2473]
No. 2473]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2600(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नामसभी रबड़ और सभी पॉलीमैरिक सामग्री तथा इसके घटकों से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न लगा होगा।

परंतु इस आदेश का कुछ भी निर्यात की माल या सामग्री पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण -भारतीय मानक ब्यूरो सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

सारणी

क्र.सं.	माल या सामग्री	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इंडस्ट्रियल और प्रोएक्टिव रबड़ नी एवं एंक्ल बूट्स	आईएस 5557: 2004	इंडस्ट्रियल और प्रोएक्टिवरबड़ नी एवंएंक्ल बूट्स - के लिए विनिर्देश
2.	रबड़ के बने गम बूट्स और एंक्ल बूट्स	आईएस 5557 (भाग 2): 2018	रबड़ के बने गम बूट्स और एंक्ल बूट्स: भाग 2 पेशेगत प्रयोजन
3.	मोल्डेड सॉलिड रबड़ सोल और हील्स	आईएस 5676: 1995	मोल्डेड सॉलिड रबड़ सोल और हील्सके लिए विनिर्देश
4.	सोल्स और हील्स के लिए रबड़ माइक्रोसेल्युलर शीट्स	आईएस 6664: 1992	सोल्स और हील्स के लिए रबड़ माइक्रोसेल्युलर शीट्सके लिए विनिर्देश
5.	सॉलिड पीवीसी सोल्स और हील्स	आईएस 6719: 1972	सॉलिड पीवीसी सोल्स और हील्सके लिए के लिए विनिर्देश
6.	पीवीसी सेंडेल	आईएस 6721: 1972	पीवीसी सेंडेलके लिए के लिए विनिर्देश
7.	रबड़ की हवाई चप्पल	आईएस 10702: 1992	रबड़ की हवाई चप्पल के लिए विनिर्देश
8.	स्लिपर, रबड़	आईएस 11544: 1986	स्लिपर, रबड़ के लिए विनिर्देश
9.	पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) इंडस्ट्रियल बूट्स	आईएस 12254: 1993	पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) इंडस्ट्रियल बूट्सके लिए विनिर्देश
10.	पॉलीयूरेथेन सोल, सेमीरिजिड	आईएस 13893: 1994	पॉलीयूरेथेन सोल,सेमीरिजिडके लिए विनिर्देश
11.	अनलाइन्ड मोल्डेड रबड़ बूट्स	आईएस 13995: 1995	अनलाइन्ड मोल्डेड रबड़ बूट्सके लिए विनिर्देश
12.	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवेयर- सामान्य औद्योगिक इस्तेमाल के लिए लाइन्ड या अनलाइन्ड पॉलीयूरेथेन बूट्स	आईएस 16645: 2018	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवेयर- सामान्य औद्योगिकइस्तेमाल के लिए लाइन्ड या अनलाइन्ड पॉलीयूरेथेन बूट्सके लिए विनिर्देश
13.	नगर निगम के सफाई कार्यों के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए फुटवेयर	आईएस 16994: 2018	नगर निगम के सफाई कार्यों के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए फुटवेयर

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2600(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Footwear Made from all-Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Order, 2022.
(2) It shall come into force with effect from the 1st day of July, 2023.
2. **Compulsory use of Standard Mark.**— Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:
Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.
3. **Certification and enforcement authority.** – The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

TABLE

Sr. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Industrial and protective rubber knee and ankle boots	IS 5557: 2004	Industrial and protective rubber knee and ankle boots - Specification
2.	All rubber gum boots and ankle boots	IS 5557 (Part 2): 2018	All rubber gum boots and ankle boots: Part 2 occupational purposes
3.	Moulded solid rubber soles and heels	IS 5676: 1995	Moulded solid rubber soles and heels-Specification
4.	Rubber microcellular sheets for soles and heels	IS 6664: 1992	Rubber microcellular sheets for soles and heels- Specification
5.	Solid PVC soles and heels	IS 6719: 1972	Specification for solid PVC soles and heels
6.	PVC sandal	IS 6721: 1972	Specification for PVC sandal
7.	Rubber HawaiChappal	IS 10702: 1992	Rubber Hawai Chappal- Specification
8.	Slipper, rubber	IS 11544: 1986	Specification for slipper, rubber
9.	Polyvinyl chloride (PVC) industrial boots	IS 12254: 1993	Polyvinyl chloride (PVC) industrial boots - Specification
10.	Polyurethane sole, semirigid	IS 13893: 1994	Polyurethane sole, semirigid-Specification
11.	Unlined moulded rubber boots	IS 13995: 1995	Unlined moulded rubber boots – Specification

12.	Moulded plastics footwear- Lined or Unlined polyurethane boots for general industrial use	IS 16645: 2018	Moulded plastics footwear- Lined or Unlined polyurethane boots for general industrial use- Specification
13.	Footwear for men and women for municipal scavenging work	IS 16994: 2018	Footwear for men and women for municipal scavenging work

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards, as amended from time to time, as notified by the Bureau of Indian Standards, shall apply.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.